मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11/09/2014

एफ 01–25/2013/दो–ए(3) :: भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम–2000 में किए गये संशोधन दिनांक 04.10.2013 के फलस्वरूप राज्य शासन एतद् द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास गृहों के लिए लायसेंस शुल्क (किराया वसूली) की दरें दिनांक 01 अक्टूबर 2014 से निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

1. शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को आवास आवंटन

क.	आवास श्रेणी	वेतनमान	मूलभूत नियम 45 "ए" के अधीन मासिक किराया	मूलभूत नियम 45 "बी" के अधीन मासिक किराया	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	'बी'	67000 से अधिक	3000	6000	30000
2	'सी'	37400+10000 ग्रेड–पे या अधिक	2400	4800	24000
3	'डी'	37400+8700 ग्रेड–पे या अधिक	1800	3600	18000
4	'ई'	15600+6600 ग्रेड–पे या अधिक	1500	3000	15000
5	'एफ'	15600+5400 ग्रेड–पे या अधिक	900	1800	9000
6	'जी'	5200+2800 ग्रेड–पे या अधिक	600	1200	6000
7	'एच'	5200+1900 ग्रेड–पे या अधिक	300	600	3000
8	'आई'	चतुर्थ श्रेणी	100	200	1000

2. सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओ, मान्यता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संगठनों तथा राज्य के सार्वजनिक उपकम के अधिकारी/कर्मचारीगण को आवास आवंटन

क.	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'बी'	12000	30000
2	'सी'	9600	24000
3	'डी'	7200	18000
4	'ई'	6000	15000
5	'एफ'	3600	9000
6	'जी'	2400	6000
7	'एच'	1200	3000
8	'आई'	400	1000

3. गणमान्य एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को तथा प्रेस पूल के अन्तर्गत आवास आवंटन

क.	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'बी'	6000	30000
2	'सी'	4800	24000
3	'डी'	3600	18000
4	'ई'	3000	15000
5	'एफ'	1800	9000
6	'जी'	1200	6000
7	'एच'	600	3000
8	'आई'	200	1000

4. भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारीगण को आवास आवंटन

क्र.	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'बी'	आवंटिती को प्राप्त होने वाले गृह भाडा भत्ते के बराबर की राशि	30000
2	'सी'		24000
3	'डी'		18000
4	'ई'		15000
5	'एफ'		9000
6	'जी'		6000
7	'एच'		3000
8	'आई'		1000

2. भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम–2000 में किए गए संशोधन दिनांक 04.10.2013 से नवीन दरों के लागू होने (दिनांक 01.10.2014) के मध्य की अवधि के लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण पूर्व में प्रचलित नियमों के अंतर्गत किया जावें ।

3. लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मकानों में नियमित रूप से संधारण कार्य किया जाये जिससे मकान निवास के लिए उपयुक्त रह सकें।

4. शासकीय आवास गृह में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराए जाने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित शासकीय आवास मकान की श्रेणी का पुनर्निर्धारण किया जायेगा और तदनुसार लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) का निर्धारण किया जाएगा।

5. जिला मुख्यालय एवं संभागीय मुख्यालय स्तर पर शासकीय आवास गृहों के लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) का निर्धारण भी उक्तानुसार किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11-9-14

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 01–25/2013/दो–ए(3) भोपाल, दिनांक 11/09/2014

प्रतिलिपिः–

1. मध्यप्रदेश राज्यपाल के सचिव, भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर (आडिट)
3 महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय–भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
6. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय जबलपुर(मध्यप्रदेश)
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, मंत्रालय– भोपाल
9. आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली।
10. शासन के समस्त विभाग म. प्र.।
11. समस्त विभागाध्यक्ष म. प्र.।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, (मध्यप्रदेश)
13 समस्त जिलाध्यक्ष(मध्यप्रदेश)
14 संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय, म. प्र.भोपाल।
15. संचालक, संपदा संचालनालय म. प्र. भोपाल।
16. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल क्रमांक–1, 2 एवं 3 भोपाल।
17. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
18. निज सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी/मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी .... विभाग, भोपाल।

ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11-9-14

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग